



2026:AHC:12772

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 36115 वर्ष 2025

दीपक रायकवार

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता:

विजित सकसेना

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सकसेना ने निवेदन किया कि वे वर्तमान जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया जाए, साथ ही उन्हें बेहतर जमानत याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन के मद्देनजर, उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान जमानत आवेदन वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।